न्यायालय सहायक कलक्टर पदेन उपखण्ड अधिकारी कोलायत

बइजलास – श्री प्रदीप कुमार आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 10/2014

श्रीमति किस्तुरीदेवी पुत्री स्व. श्री बालुराम पत्नि कुम्भाराम जाति मेघवाल निवासी भाणे का गॉव तहसील कोलायत जिला बीकानेर।

.............अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल पुत्र श्री जेठाराम तथाकथित पुत्र स्व. श्री बालुराम जाति मेघवाल निवासी खींदासर तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
2. श्रीमति किसनादेवी पुत्री स्व. श्री बालुराम पत्नि श्री रामुराम जाति मेघवाल निवासी नेणिया तहसील कोलायत जिला बीकानेर।
3. श्रीमति लुणीदेवी पुत्री स्व. श्री बालुराम पत्नि श्री आदूराम जाति मेघवाल निवासी नाथूसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
4. श्रीमति नत्थी देवी पुत्री स्व. श्री बालूराम पत्नि श्री टिकुराम जाति मेघवाल निवासी नाथुसर तहसील नोखा जिला बीकानेर।
5. ग्राम पंचायत खींदासर तहसील श्री कोलायत।
6. श्रीमान तहसीलदार राजस्व श्री कोलायत।

.... रेस्पोडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत खीदासर तहसील कोलायत दिनांक 29/05/1992 जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 971 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हक में तस्दीक किया गया।
बमुराद मन्सुखिया उपरोक्त आदेश व करने स्वीकार
अपील अर्न्तगत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थिति अभिभाषक:–

1. श्री राधाकिसन स्वामी अभिभाषक अपीलान्ट।
2. श्री मनीराम अभिभाषक प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2
3. पैराकार राज्य की और से संख्या 4 रेस्पोडेन्ट 3 ता 5 के विरूद्ध एक पक्षीय।

–: निर्णय :–

दिनांक :– 11.02.2023

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के आज्ञा सरपंच ग्राम पंचायत खीदासर तहसील कोलायत दिनांक 29/05/1992 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। जिसके कि द्वारा इन्तकाल संख्या 971 रेस्पोडेन्ट के हक में स्वीकृत किया गया।

2. संक्षेप में अपील प्रार्थना पत्र के आवश्यक एवं सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि आराजीराज खसरा नम्बर 149/1 तादादी 26 बीधा 12 बिस्वा व खसरा नम्बर 430/1 तादादी 47 बीधा 1 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 73 बीधा 13 बिस्वा जो ग्राम रोही खिन्दासर तहसील कोलायत में स्थित है के खातेदार रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल व मु. पेमी बेवाह बालुराम बहिस्सा बराबर हिस्सेदार रहे है। निस्फ हिस्से के हिस्सेदार मु पेमी की मृत्यु हो गयी और उसकी मृत्यु के उपरान्त उसका हिस्सा विरासतन के आधार पर इन्तकाल संख्या 971 रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के मांगीलाल के पक्ष में सरपंच ग्राम पंचायत खीन्दासर ने दिनांक 29/05/1992 को स्वीकृत कर दिया। उसी आदेश से असतुष्ट होकर अपीललिया ने यह अपील इस न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत की ओर अभिकथन किया कि आदेश मातहत न्यायालय इम्प्रोपर गलत मिसल रिकॉर्ड व कानून के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरित एवं क्षेत्राधिकार विहिन पारित होने से अवैध है और निरस्तीय भी हो जाता है। अपील ज्ञापन में यह भी अभिकथित किया गया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल जो अपने आपको बालुराम का पुत्र बताकर उसकी(मृतक बालुराम) जायदाद

उपखण्ड अधिकारी
कोलायत जिला–बीकानेर

अपने नाम दर्ज करवा ली जबकि रेस्पोडेन्टान वस्तुत जेठाराम का पुत्र है। लेकिन बालुराम का कथित पुत्र बनकर बालुराम के वास्तिविक वारिसान की पुत्रीयान अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 ता 4 का हिस्सा अपने नाम करवा लिया जो गैर कानूनी है। तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान संख्या 2 ता 4 ही वास्तविक वारिसान मृतक बालुराम व पेमादेवी है। अतः मृतक खातेदार मु. पेमीदेवी के निधनोपरान्त समस्त जायदाद के खातेदार बन गये। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक के वास्तविक वारिसान की जॉच किये बिना जैर अपील रेस्पोडेन्ट संख्या मांगीलाल जो पेमीदेवी का पुत्र नही होते हुए ग्राम पंचायत के गलत रूप से कुर्सीनामा बनाकर उसके नाम दर्ज कर दी जो अवैध है तथा ऐसा इन्तकाल कानून की निगाहो में दुषित होने के काबिल मंसुख है अपील मीमों में आगे अपील के मियाद के सम्बन्ध में तथ्य अभिकथित करते हुए अपील पेश करने के हुवे विलम्ब को क्षमा करने हेतु दफा 5 मियाद का प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र भी सलग्न किया कि अपील मंजुर फरमायी जावे तथा आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्त फरमाया जावे।

इस अपील के प्रत्यर्थीगण को सम्मन भिजवाये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की और से श्री मनीराम अभिभाषक ने अपना अभिभाषक पत्र न्यायालय में दाखिल किया। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 3 ता 5 बावजूद तामिल के अनुपस्थित। अतः उनके विरूद्ध कार्यवाही एक पक्षीय अमल में ली गयी।

मैने पक्षकारों के विद्वान काउसेल द्वारा प्रस्तुत बहस अपील सुनी एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध आदेश इन्तकाल आपेक्षित का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया है। आदेश इन्तकाल जैर अपील में रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 मांगीलाल के मूल खातेदार मृतक बालुराम का पुत्र मानते हुए आदेशित इन्तकाल उसके नाम स्वीकृत किया गया है। जबकि अपीलान्ट का अपील ज्ञापन में यह कहना है कि मांगीलाल बालूराम का पुत्र नही है। बल्कि किसी जेठाराम का है। अपने इस कथन के समर्थन में अपीलान्ट ने कोलायत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची वर्ष 2013 व वर्ष 1998 के मतदाता सूची की नक्लों की चित्र प्रतिया प्रस्तुत की है। जिसमें क्र. स. 576 पर मांगीलाल पिता जेठाराम अंकित है। इससे यह तो स्पष्ट हो जाता है कि मांगीलाल मृतक बालुराम व पेमी का पुत्र नही है। बल्कि जेठाराम का पुत्र है। पत्रावली के अवलोकन से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल मृतक बालुराम का दतक पुत्र हो तो कोई साक्ष्य व रिकॉर्ड नही है। ऐसी स्थिति में आदेश इन्तकॉल जैर अपील 29/5/1992 तस्दीक करने में अधीनस्थ न्यायालय ने कूननी त्रृटी की है तथा ऐसे आदेश को न तो कायम रखा जा सकता है। और नही उसका समर्थन ही किया जा सकता है। यह सही है कि अपील 22 वर्ष के उपरान्त प्रस्तुत की गयी है जो अवधि अधिनियम से बाधित है। जिसके लिए दफा 5 मियाद कानून के प्रार्थना पत्र व उसके शपथ पत्र में जो कारण विलम्ब के अंकित किये है उनके समर्थन मे कोई जवाब व प्रति शपथ पत्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की और से प्रस्तुत नही किये है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत कथन अरपंकित रह जाते है। तथा दफा 5 मियाद कानून का लाभ प्राप्त करने की हकदार अपीलान्ट हो जाती है। वैसे भी कानूनी स्थिति यह बनती है कि ईलीगल आदेश को कभी भी चैलेंज नही किया जा सकता है। तथा समय सीमा अपील के निर्णय में बाधित नही है। इस आधार पर प्रार्थना पत्र मियाद अधिनियम दफा 5 प्रार्थीया अपीलार्थीया स्वीकार किया जाता है। तथा अपील प्रथम जानकारी की तिथि के आधार पर प्रस्तुत होने से मियाद के भीतर अपील प्रस्तुत होनी करार दी जाती है। तथा अपील में हुवे विलम्ब को क्षमा किया जाता है। परिणामस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तथा आक्षेपित इन्तकाल निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीदार राजस्व कोलायत को प्रति प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर देकर यह जॉच करे कि अपीलान्ट का व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ता 4 ही मृतका प्रेमी व बालुराम की पुत्रीया होने से वारिस है। तथा अपने पिता की छोडी हुई जायदाद उनके हाथों में आयेगी। इसके अलावा यह भी जॉच की जाने कि मांगीलाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मृतक बालुराम के दतक ग्रहण किया हो तो इस सम्बन्ध में आवश्यक साक्ष्य लाने के उपरान्त विधि सम्मत रूप से इन्तकाल तस्दीक

किया जाना सुनिश्चित करे। निर्णय की एक प्रति तहसीलदार राजस्व कोलायत को पालनार्थ प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक 11/02/2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत में मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत से जारी किया जाता है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत

97
17/02/2023

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) कोलायत को पालनार्थ प्रेषित है।

(प्रदीप कुमार)
सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
कोलायत